

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-24-3-17

संख्या-12/प0-(मू0को0) 5008/2015-सा0प्र0-3554 / पदस्थापन की प्रतीक्षा में रह रहे
श्री अखिलेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि कमांक 1270/11, गृह जिला-नालन्दा को अगले आदेश
तक वरीय उप समाहत्ता, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अखिलेश कुमार को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20
के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।
साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का
प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भीम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0) 5008/2015-सा0प्र0-3554/पटना, दिनांक-24-3-17

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम
से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला
पदाधिकारी, कटिहार/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान
आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2 एवं चारित्री
कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव